बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14
वर्ग-3 के अन्तर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा-2010

विज्ञापन संख्या-0111-याचिका संख्या-8919/99, रामप्रकाश शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में वर्ग-3 के (लिपिक) रिक्त पदों पर वर्ग-4 के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु वेतनमान-3050-4590 रूपये (अपुनरीक्षित) में कुल 194 (एक सौ चौरानवे) पदों के लिए ओ0 एम0 आर0 में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । इन 194 (एक सौ चौरानवे) पदों में से अनुसूचित जाति के लिए-91(एकानबे) पद, अनुसूचित जनजाति-13(तेरह) पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-38(अड़तीस) पद, पिछड़ा वर्ग-18(अठारह) पद, पिछड़ा वर्ग की महिला-7(सात) पद एवं सामान्य-27(सताईस) पद आरक्षित हैं । इन आरक्षित पदों में से 3% (तीन प्रतिशत) पद विकलांग उम्मीदवारों के लिए भी नियमानुसार समानान्तर आरक्षण देय होगा ।

सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, घट-बढ़ सकती हैं ।

2. पात्रता एवं शर्तेः- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी उम्मीदवार के लिए निम्न शर्तो को पूर्ण करना होगाः-

(i) शैक्षणिक योग्यता :-

उम्मीदवार राज्य विद्यालय परीक्षा समिति या किसी अन्य बोर्ड/परीक्षा लेने वाली संस्थाओं, जो कि बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से मैट्रिक या इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों ।

(ii) तकनीकी योग्यता :-

उम्मीदवार को टंकण यंत्र पर टंकण का ज्ञान हो।

(iii) सेवाकाल :-

राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में समूह 'घ' के पद पर उनकी नियमित स्थापना में सेवा कम-से-कम 5 पाँच वर्षो की हो गयी हों ।

(iv) उम्र सीमा :-

दिनांक 01.08.2010 को 50 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं हों ।

3. परीक्षा शुल्क :-

परीक्षा शुल्क के लिए 200.00(दो सौ) रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा । पोस्टल ऑर्डर **सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना** के पदनाम से होगा तथा जी0पी0ओ0, पटना में भुगतेय होगा । मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, रू0 50/-(पचास रूपये) का क्रॉस्ड भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करेंगे । यह राशि लौटायी नहीं जायेगी । पोस्टल ऑर्डर संख्या का स्पष्ट उल्लेख ओ0 एम0 आर0 आवेदन के कॉलम-33 में करना अनिवार्य होगा ।

4. चयन की प्रक्रिया :-

(i) सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा । लिखित परीक्षा हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान विषय की होगी । प्रत्येक पत्र दो घंटे पन्द्रह मिनट का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का होगा । हिन्दी विषय में कम-से-कम 30 (तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा यह विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय रहेगा । सामान्य ज्ञान विषय में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी । प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रय मैट्रिक स्तर का होगा ।

(ii) परीक्षा के दोनों पत्रों का प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति का होगा । प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिये एक अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिये 0.2 अंक काटे जायेंगे ।

(iii) लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकण जाँच में सम्मिलित होना होगा । टंकण यंत्र पर उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा । इस जाँच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जायेगी ।

(iv) परीक्षाफल: भर्त्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा मेधाक्रम के अनुरूप तथा आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी और अधियाचित रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी ।

(v)परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी उम्मीदवार का निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार उनके शैक्षणिक योग्यता, चरित्र एवं पूर्ववृत के संबंध में वैसी जांच कराकर संतुष्ट न हो लें जैसा कि उक्त पद पर राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

परन्तु आयोग द्वारा अनुशंसित कोई उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य है या नहीं इसका निर्णय अधियाची विभाग द्वारा किया जाएगा ।

(5) <u>आवेदन पत्र का क्रय :-</u>

बिहार राज्य स्थित किसी प्रखंड/जिला स्तरीय डाकघर/जी0पी0ओ0, पटना से उम्मीदवार निम्न प्रकार आवेदन पत्र खरीद सकते हैं:- (i) एक सादे कागज पर अपना नाम, पद का नाम, जिसके लिए आवेदन देना चाहते हों, पूरा पता लिखकर और हस्ताक्षर कर डाकघर में दें । अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के उम्मीदवार 25/- रूपये नगद देंगे । (ii) अन्य वर्ग के उम्मीदवार 100/- रूपये नगद देगें । (iii) नीला एवं सफेद रंग के लिफाफे में आवेदन पत्र (दो भागों में भाग A एवं भाग B) और विन्डो लिफाफा मिलेगा । खिड़की छोड़ने के पूर्व उम्मीदवार संतुष्ट हो लें कि उन्हें उपर्युक्त सभी सामान मिल गये हैं ।

(6) <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :-</u>

(i) प्रविष्टि नं0-1 से 7, 9 से 13, 16, 22 एवं 37 से 41 को विज्ञापन में दिये गए निर्देशों का अक्षरश: पालन करते हुए भरें ।

(ii) प्रविष्टि नं0-8 में दिये गये डॉटेड लाईन पर पद का नाम लिखें, जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं । उसके बाद प्रविष्टि नं0-8 में बने बॉक्सों में उस पद का कोड नं0 लिखें और प्रत्येक बॉक्स के नीचे बने संबंधित गोले को पेंसिल से भरें। **पद का कोड नं0-111 है ।**

(iii) **प्रविष्टि नं. 10 एवं 11- <u>गृह जिला एवं पत्राचार पते का जिला</u>-** जो उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी है, वे निम्न सूची से अपने गृह जिला का कोड नम्बर बॉल पेन से बॉक्सों में लिखें प्रत्येक बॉक्स के नीचे संबंधित गोले को पेंसिल भरें । जो अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी नहीं है, वे गृह जिला के सामने बॉक्सों में लिखें अ 1 0 धित गोलों को काला करें । जिलावार कोड संख्या इस प्रकार है :-

(बिहार के स्थायी निवासी नहीं है उनके लिए-10), (पटना-11), (नालन्दा-12), (भोजपुर-13), (रोहतास-14), (बक्सर-15), (कैमूर-16), (गया-17), (नवादा-18), (औरंगाबाद-19), (जहानाबाद-20), (अरवल-21), (मुंगेर-22), (बेगूसराय-23), (जमुई-24), (शेखपुरा-25), (लखीसराय-26), (खगड़िया-27), (भागलपुर-28), (बांका-29), (सहरसा-30), (सुपौल-31), (मधेपुरा-32), (पूर्णिया-33), (किशनगंज-34), (अररिया-35), (कटिहार-36), (छपरा-37), (गोपालगंज-38), (सिवान-39), (दरभंगा-40), (मधुबनी-41), (समस्तीपुर-42), (मुजफ्फरपुर-43), (वैशाली-44), (सीतामढ़ी-45), (शिवहर-46), (पूर्वी चम्पारण-47), (पश्चिमी चम्पारण-48).

(iv) प्रविष्टि नं0-24 में दिनांक-……………… को बिहार सरकार की नियमित सेवा में पूरी कर लिये गये अवधि को दर्शायें तथा संबंधित गोले को पेंसिल से भरें । आवेदन पत्र के भाग-B के कॉलम-42 को नियुक्ति पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान से अग्रसारित करा कर भेजना अनिवार्य है ।

(7) आरक्षण :-

(i) आवेदन पत्र में, नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं । बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे ।

(ii) आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास जिला के जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर में नहीं होने सबंधित प्रमाण पत्र, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास जिला के जिला पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा । उपर्युक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करनेवाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे ।

(iii) विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा ।

(8) अन्य :-

(i)अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा ।

(ii) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायगा ।

(iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा । उम्मीदवार अपनी हस्तलिपि में ही अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरें ।

(9) आवेदन पत्र को भेजना :-

आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति, नियुक्ति पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा दिनांक-................. को न्यूनतम 05 (पाँच) वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र उसी लिफाफे में भर कर एवं संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान से निर्धारित प्रपत्र में अग्रसारित करा कर अंतिम तिथि तक आयोग में अवश्य भेज देंगे । जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें । शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी न्यूनतम विकलांगता 40% होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे । लिफाफे के उपर पद का नाम तथा पद का कोड का उल्लेख अवश्य करें । किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । जन्म तिथि सत्यापन के लिए केवल मैट्रिक का प्रमाण पत्र या मैट्रिक का अंक पत्र ही मान्य होगा । जन्म तिथि सत्यापित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(10) नोट :-

(सरकारी सेवकों के लिए नियुक्ति पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा अग्रसारित किये जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.. दिनांक................. से बिहार/केन्द्र सरकार के अधीन .... के अस्थायी/स्थायी पद पर वेतनमान............ में कार्यरत हैं । जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका चरित्र उत्तम है और यह विभाग इन्हें विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए विरमित/मुक्त कर सकेगा ।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर................................

कार्यालय का मुहर एवं तिथि

पदाधिकारी का नाम...................................

पदनाम ....

विभाग ....

तिथि ....

(11) <u>**अंतिम तिथि :-**</u>

भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि दिनांक-10.03.2011 की संध्या 05.00 बजे तक **सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पे0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14 को अवश्य प्राप्त हो जाये ।** पूर्व में लिफाफे पर छपे पो0 बॉक्स नं0-96 जी0 पी0 ओ0, पटना लिखा है, उस पते को काट दें अथवा उपर में कागज चिपका दें । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदन के साथ दिया गया बड़ा लिफाफा भी पुराना है जिस पर पोस्ट बॉक्स नं0-96, जी0 पी0 ओ0 पटना-800001 छपा है उस पते को काट दें अथवा उपर में कागज चिपकाकर उस पर नये पता पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-800014 लिखकर हीं भेंजे । विलम्ब के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा । आवेदन पत्र भरने से संबंधित अनुदेश आयोग के वेबसाईट http://bssc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।